677
03/6/2022

HIGH COURT AT ALLAHABAD

Through E.mail.

From,

Brijesh Kumar Sharma, HJS
Registrar(Judicial)(Inspection)
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,

All The District Judges
Subordinate to the High Court of Judicature at
Allahabad

Letter No. 7149 / Admin G-II / Allahabad Dated: 03.06.2022

Sub: **Regarding appreciation of Hon'ble Court for efforts made in disposal of cases related to Arbitration matters in Lok Adalat held on 29.05.2022**

Madam/Sir,

After perusal of the data regarding disposal of cases in the Lok Adalat held on 29.05.2022, Hon'ble Court has been pleased to appreciate all the District Judges and Additional District Judges for their efforts made to ensure maximum disposal of cases related to Arbitration matters in the Lok Adalat held on 29.05.2022.

It is further to inform you that under the directions of Hon'ble Court, a Special Lok Adalat has been scheduled on 3rd July, 2022 for disposal of cases related to Arbitration matters with special emphasis on hire-purchase matters.

You are, therefore, requested to make efforts from now for the success of Special Lok Adalat scheduled to be held on 03rd July 2022 i.e. Sunday.

With regards,

Yours Faithfully

02/6/22

Registrar(J)(Inspection)

प्रति परिचालन हेतु नाजिर जी समस्त ADJ महोदय
04/6/22

Circulate among all ADJs for information and necessary action.

03/6/22

कार्यालयः जनपद न्यायाधीश, लखनऊ

प्रशासनिक आदेश सं0: 228 /2022, दिनांक 07.06.2022

जनपद न्यायालय, लखनऊ में कार्यरत् सभी अपर जिला न्यायाधीशगण, जिनके न्यायालय में आर्बीट्रेशन सम्बन्धी मामले लम्बित हैं, को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांकः 7149/एडमिन. जी-II/इलाहाबाद, दिनांकित 03.06.2022 में जारी निर्देश के तहत **दिनांक 03 जुलाई, 2022 (दिन-रविवार)** को जनपद न्यायालय परिसर में एक **विशेष लोक अदालत** का आयोजन आर्बीट्रेशन सम्बन्धी मामलों के निस्तारण हेतु किया जा रहा है, जिसमें अधिकाधिक आर्बीट्रेशन सम्बन्धी मामले, विशेषकर हॉयर परचेज मामलों के निस्तारण की अपेक्षा की गयी है।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि वे माननीय उच्च न्यायालय के पत्र को जनपद न्यायालय की बेबवाईट पर अपलोड किये जाने तथा दिनांक 03.07.2022 को आयोजित आर्बीट्रेशन सम्बन्धी मामलों के लोक अदालत की सूचना का समुचित प्रचार-प्रसार कराने की व्यवस्था करें, जिसके लिये जनपद न्यायालय के गेट और आवश्यक स्थलों पर पोस्टर और बैनर भी लगाये जाएं। स्थानीय समाचार पत्रों में इसकी सूचना प्रेस नोट के जरिये प्रेषित की जाए।

केन्द्रीय नाजिर उक्त अवकाश के दिन में न्यायालय और विश्राम कक्ष खुलवाने और उनकी साफ-सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।

उपरोक्त विशेष लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु **दिनांक 07.06.2022** को सभी अपर जिला न्यायाधीशगण की एक बैठक मेरे विश्राम कक्ष में **अपराह्न 4.30 बजे** आहूत की जा रही है, जिसमें आर्बीट्रेशन मामलों की सूची के साथ उनकी समय से उपस्थिति अपेक्षित है।

इस आदेश की एक प्रति जनपद न्यायाधीश, लखनऊ के सूचना पट एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सूचना पट पर, माननीय उच्च न्यायालय के पत्र के साथ, चस्पा की जाए।

जिन मामलों में वसूली वारण्ट जारी करने के आदेश हुए हैं, उनमें वसूली वारण्ट अदालत अमीन द्वारा तामील कराया जाए।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ आर्बीट्रेशन मामलों में जारी नोटिसों को PLVs. के जरिए तामीला कराये जाने की व्यवस्था करें।

वसूली वारण्ट की तामीला में अदालत अमीन के साथ एक चतुर्थ श्रेणी स्टाफ रहेगा और सम्बन्धित थाने की पुलिस अदालत अमीन को वॉछित सहायता प्रदान करेगी।

पुलिस आयुक्त को भी सहयोग के लिए लिखा जाए।

सभी सम्बन्धित अनुपालन सुनिश्चित करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(राम मनोहर नारायण मिश्रा)
जनपद न्यायाधीश,
लखनऊ

सचिव
जिला विधिक सेवा
प्राधिकरण
Received
7/6/22

CN

अमीन कार्यालय